16

JS-un-JD

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14300/824 दिनांक 21.09.12

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत झंझारपुर के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 649/11–12 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। साथ ही अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अंदर प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

4658/PS 26/9/12

नगर पंचायत झंझारपुर
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–649/11–12
(अवधि– 2008–09 से 2010–11 तक)

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत झंझारपुर का लेखा का वर्ष 2008–09 से 2010–11 की अवधि का नमूना लेखा परीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा बिहार पटना के लेखा परीक्षा दल द्वारा दिनांक 30.01.12 से 07.02.12 तक की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

कम संख्या	नाम	कार्यकाल
	अध्यक्ष	
1	श्री मति सोना देवी	01.04.08 से 14.12.10
2	श्री मति किरण दवी	15.12.10 से 31.03.11
	उपाघ्यक्ष	
1	श्री कुमरकीत पासवान	01.04.08 से 14.12.10
2	श्री चन्द मोहन दास	15.12.10 से 31.03.11
	कार्यपालक पदाधिकारी	
1	श्री अविनाश कुमार कंठ	01.04.08 से 11.11.08
2	श्री लखीन्द्र पासवान	11.11.08 से 09.06.09
3	श्रीमति सईदा खातून	09.06.09 से 04.04.10
4	श्री सुंधाशु शेखर	29.04.10 से 09.12.10
5	श्री चेतनारायण राम	09.12.10 से 31.03.11

3. लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराये गए एवं नमूना जॉच की गयी अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I पर तथा असंधारित /अभिलेखों की सूची परिशिष्ट –II पर है।

14

4. लेखा परीक्षा की मुख्य उपलब्धियाँ

कम सं0	कंडिका सं0	विवरण	राशि (₹में)
1	10	बंदोबस्त राशि की वसूली नही	645000.00
2	11	आयकर एवं खनन सेस कर जमा नहीं	156035.00
3	16	असमायोजित अग्रिम	812458.00
4	12	कबीर अंत्येष्टि योजना	528000.00

5. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के लंबित कंडिकाओं की वर्त्तमान स्थिति निम्न हैः–

कम सं0	अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या	अवधि	कंडिकाओं की संख्या	निराकरण कंडिकओं की सं0	लंबित कंडिकओं की सं0
1	298/81–82	1978–79 से 80–81	15	शून्य	15
2	210/82–83	1981–82	17	शून्य	17
3	288/83–84	1982–83	10	शून्य	10
4	10/87–88	1983 –84 से 84–85	21	शून्य	21
5	12/89–90	1985–86 से 87–88	13	शून्य	13
6	28/94–95	1988–89 से 92–93	18	शून्य	18
7	121/98–99	1993–94	21	शून्य	21
8	58/2000–01	1994–95 से 99–2000	39	शून्य	39
9	193/08–09	2002–03 से 2007–08	30	शून्य	30
			184		184

बार बार अनुरोध करने पर भी लेखा परीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं का निराकरण प्रस्तुत नही किया गया। पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं के अनुपालन नही किये जाने की दशा में लेखा परीक्षा कार्य निष्फल हो जाता है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखा परीक्षक को भेजा जाए।

6(क) सामान्य रोकड़ बही

वित्तीय संव्यवहार

		2008–09	2009–10	2010–11
1	प्रा0 शेष	9654761.98	12119998.98	10751383.98
2	आय			
(i)	अपने श्रोत से	365910.00	535443.00	769615.00
(ii)	अनुदान			
(क)	12 वीं वित्त	374302.00	911288.00	शून्य
(ख)	13 वीं वित्त	शून्य	शून्य	900000.00
(ग)	बी0 आरजी0 एफ	1241556.00	2187128.00	1096154.00
(घ)	अन्य अनुदान	1907716.00	240000.00	7527325.00
(3)	कुल आय	3889484.00	3873854.00	10293094.00
(4)	कुल आय + प्रा0 शेष (1+3)	13544245.98	15993857.98	21044477.98
(5)	व्यय			
(i)	वेतन एवं स्थापना	1138929.00	637586.00	1636222.00
(ii)	योजना	285318.00	1078333.00	1635826.00
(iii)	अतरण	शून्य	3526555.00	शून्य
(6)	कुल व्यय	1424247.00	5242474.00	3272048.00
(7)	अन्तशेष	12119998.98	10751383.98	17772429.98

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि नगर पंचायत का स्थापना व्यय स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय से अधिक था। रोकड़ बही शेष का बैक पास बुक से मिलान नही किया गया। बैंक पास बुक S.B.I A/c No.-4146268468 के अनुसार 31.03.11 को अंतशेष ₹15206951.73 था इस प्रकार रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के बीच ₹2565478.25 (₹17772429.98–₹15206951.73) का अंतर था। अतः रोकड़ बही और बैक पासबुक का समाधान विवरणी अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

121

(ख) बी0 आर0 जी0 एफ0 रोकड़ बही (₹37.43 लाख का अवरोधन)

वित्तीय संव्यवहारः–

	2008–09	2009–10	2010–11
प्रारम्भिक	शून्य	1241556.00	3428684.00
आय	1241556.00	2187128.00	1096154.00
योग	1241556.00	3428684.00	4524838.00
व्यय	शून्य	शून्य	781612.00
अन्तशेष	1241556.00	3428684.00	3743226.00

रोकड़ बही के वित्तीय स्थिति के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बी0 आर0 जी0 एफ0 मद में 2008–09 और 2009–10 में क्रमशः ₹1241556.00 एवं ₹2187128.00 का अनुदान नगर पंचायत को प्राप्त हुआ परन्तु उस अवधि में कोई व्यय नही किया गया। वर्ष 2010–11 में भी बी0 आर0 जी0 एफ0 मद से काफी कम व्यय किया गया। इस प्रकार नगर पंचायत, अनुदान को निर्धारित समयावधि में उपयोग करने के प्रति गंभीर नहीं था। इस प्रकार पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के ₹37.43 लाख का अवरोधन किया गया। इस निधि का उपयोग किया जाय।

7. सरकारी अनुदान पंजी असंधारित

रोकड़ बही के अनुसार, लेखा परीक्षा अवधि में निम्नलिखित अनुदान की प्राप्ति हुईः–

2008–09

क्रम सं0	तिथि	पत्रांक/तिथि	राशि
1	07.05.2008	नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 1966 दि0 18.04.2008 विधान पार्षद ऐच्छिक कोष से चापाकल गड़ाई हेतु	105432.00
2	–वही–	–वही– पत्रांक 1938 दिनांक 17.04.08 वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु	374302.00
3	21.05.2008	प्रभारी मुख्य नगर निवेशक पटना, के पत्रांक 429 दिनांक 02.05.08 के द्वारा लघु एवं मध्यम शहारों की समेकित विकास योजनान्तर्गत	683000.00
4	19.06.08	जिला से उप विकास आयुक्त के पत्रांक 131 दिनांक 09.06.08 द्वारा पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान मद में	1241556.00
5	02.01.09	न0 वि0 एवं आ0 वि0 के पत्रांक 4535 दिनांक 29.08.08 द्वारा पा दिों के भत्ता मद में	70800.00
6	24.02.09	जिला पदा0 के पत्रांक 10 दिनांक 19.01.09 कबीर अन्त्येष्टि मद में	240000.00
7	23.03.09	स्हायक निबंधन महानिरीक्षक बिहार पटना के पत्रांक 3080 दिनांक 03. 12.08 अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	391798.00
8	–वही–	–वही–पत्रांक 3081 दिनांक 30.12.08	416686.00
			3523574.00

2009–10

कम सं0	तिथि	पत्रांक/तिथि	राशि
1	18.06.09	उपविकास आयुक्त के पत्रांक 605 दिनांक 23.05.09 द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष	1216379.00
2	09.10.09	जिला पदा0 मधुबनी के पत्रांक 1156 दिनांक 23.07.09 कबीर अन्त्येष्टि पद हेतु	240000.00
3	31.12.09	उपविकास आयुक्त के पत्रांक 965 दिनांक 17.12.09 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	970749.00
4	03.02.10	स्हायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, मधुबनी के पत्रांक 1765 दिनांक 05.11.09 विकलांग सर्वेक्षण मद	8170.00
5	31.03.10	नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 28 दिनांक 17.03.10 द्वारा बारहवी वित्त आयोग	455644.00
6	–वही–	–वही– पत्रांक 41 दिनांक 25.03.10 XIIth FC	455644.00
7	31.03.10	नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 30 दिनांक 19.03.10 अध्यक्ष, पार्षदों का भत्ता	70800.00
			3417386.00

2010 –11

कम सं0	तिथि	पत्रांक/तिथि	राशि
1	30.06.10	निबंधन महानिरीक्षक के पत्रांक 98 दिनांक 12.01.10 द्वारा (पी0 एल0 खाता से अंतरित) स्टाम्प डयूटी	380129.00
2	15.11.10	न0 विकास एवं आवास विभाग पटना के पत्रांक 6243 दिनांक 03.11.10 नगर प्रबंधक के मानदेय	140000.00
3	05.01.11	अनुमंडल पदा0 के पत्रांक 207 दिनांक 16.12.10 राशन वार्ड वार वितरण हेतु	7874.00

4	14.01.11	नि0 पदा0 सहप्रधान जनगणना पदा0 के पत्रांक 1591 दिनांक 01.11.10 द्वारा कार्यालय मद हेतु	6000.00
5	19.01.11	न0 वि0 एवं आ0 विभाग के पत्रांक 69 दिनांक 26.04.10 द्वारा मासिक भत्ता मद में	70800.00
6	14.02.11	सं0 निबंधन महानिरीक्षक के पत्रांक 2494 दिनांक 23.08.10 स्टाम्प डयूटी	930196.00
7	23.02.11	विशेष सचिव न0 वि0 एवं आवास विभाग के पत्रांक 102 दिनांक 20.08.10 द्वारा नाला निर्माण मद में	2700000.00
8	23.02.11	विशेष सचिव न0 वि0 एंवम आ0 विभाग के पत्रांक 100 दिनांक 20.08.10 सड़क निर्माण मद में	3300000.00
9	–वही–	–वही– पत्रांक 95 दि0 17.08.10 तेरहवी वित्त आयोग के अनुशंसा पर	900000.00
10	16.03.11	जिला0 पदा0 के पत्रांक 2299 दिनांक 21.06.11 कबीर अन्तेष्टि मद में	157000.00
11	31.03.11	–वही–	60000.00
12	–वही–	अनुमंडल पदा0 के पत्रांक 223 दिनांक 26.03.11 पारिवारिक लाभ योजना मद में	50000.00
			8701999.00

उपरोक्त अनुदान से संबंधित प्रमाणक वार व्यय विवरणी एवं संस्वीकृति प्राधिकार को समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया। बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 के अनुसार विहित प्रपत्र में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

फलस्वरूप वर्ष के प्रारम्भं में अनुपयोगिता अनुदान, वर्ष में प्राप्त अनुदान से वर्ष समाप्ति पर शेष राशि को ज्ञात नही किया जा सका। अतः अनुदान पंजी का विहीत संधारण कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

8. बजट अनुमान तैयार नही किया जाना

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2008–09 से 2010–11 के अवधि का बजट तैयार नही किया गया था। बजट प्रावधान के बिना किसी तरह का व्यय अनियमित था, पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मे भी नगर पंचायत को बजट प्रावधानों के तहत व्यय किए जाने हेतु निर्देश दिया जाता रहा है, परन्तु नगर पंचायत द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई कदम नही उठाया गया।

अतः नगर पंचायत पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि ससमय बजट तैयार किया जाय तथा आगामी अंकेक्षण में इसे प्रस्तुत किया जाये।

9 होल्डिंग कर अध्यारोपित नहीं

झंझारपुर नगर पंचायत का गठन सरकार के आदेश सं0 2298 दिनांक 26.03.1976 द्वारा किया गया था परन्तु होल्डिंग कर अंकेक्षण अवधि तक नगर पंचायत में वसूला नहीं जा रहा था। होल्डिंग कर की वसूली नहीं होने से नगर पंचायत के राजस्व की हानि हो रही है।

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण के समक्ष होल्डिंग कर नहीं वसूलने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

होल्डिंग कर की वसूली हेतू गंभीरता से उचित कार्यवाही की जाय जिससे नगर पंचायत कोष के राजस्व में वृद्धि की जा सके।

10.बंदोबस्ती राशि ₹6.45 लाख वसूली नहीं

2008–09 की अवधि में भारी वाहनों से कर (प्रवेश शुल्क) वसूली हेतू बंदोबस्ती श्री राजकुमार झा को 1290101 में प्रदान की गई थी। श्री राजकुमार झा ने इस अवधि में मात्र ₹645000.00 ही जमा किया, जिसका विवरण निम्न है–

रसीद संख्या	दिनांक	राशि
830	26.03.08	50,000.00
832	29.03.08	5,95,000.00
		कुल– 6,45,000.00

शेष राशि ₹645101.00 श्री राजकुमार झा द्वारा जमा नही की गई। उपर्युक्त राशि ₹645101.00 संबधित/जिम्मेवार व्यक्ति से वसुल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाये।

11 आयकर एवं खनन सेस राशि ₹1.56 लाख जमा नहीं।

योजना संचिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया कि निम्न योजनाओं में अभिकर्ताओं से आयकर एवं खनन सेस की कटौती की गई परन्तु सरकार के खाते में जमा नहीं की गयी। विवरण निम्न है:–

8)

कम संख्या	योजना संख्या	प्राक्कलित राशि	मापी पुस्त की राशि	आयकर	खनन कर
1	14/09–10	228031	227709	5160	4345
2	4/09–10	472451	470557	10663	4963
3	5/09–10	499261	489044	11082	30517
4	9/09–10	22936	18106	410	93
5	8/09–10	100001	89097	2018.93	2593
6	1/09–10	357848	318679	7221	2846
7	2/09–10	495133	495133	11219	5800
8	7/09–10	458993	438272	9931	3286
9	12/09–10	65583	63723	1444	971
10	13/09–10	142050	141896	3215	6666
11	11/09–10	122889	114088	2585	2407
12	6/09–10	343715	334498	7580	2772
13	3/09–10	453407	432464	9800	6448
				82328.93	73707

आयकर कटौती एवं सेस कटौती की कुल राशि ₹156035.00 सरकार के खाते में जमा की जाए एवं अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

12. कबीर अन्येष्टि योजना का अत्येषिट प्रमाणक अप्रस्तुत

कबीर योजना के अंतर्गत कुल ₹697000.00 का अनुदान 2008–09 से 2010–11 की अवधि में सरकार से प्राप्त हुआ जिसमें ₹528000.00 का व्यय इस अवधि में किया गया। शेष ₹169000.00 31.03.2011 को अव्ययित था। ₹528000.00 का भुगतान नगर पंचायत कर्मियों के साथ सम्बन्धित वार्ड कमिश्नर से सयुक्त खाता मे किया गया। परन्तु इस योजनान्तर्गत हुए व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में उस पर वास्तविक व्यय तथा 31.03.11 को अव्ययित शेष राशि की जानकारी लेखा परीक्षा में नही हो सकी।

इस योजनान्तर्गत हुए व्यय का प्रमाणक अगले लेखा परीक्षा में पस्तुत किया जाए

17

13. विविध रसीदों पर हस्तलिखित क्रम सैं मुद्रित होना

विविध रसीद के दैनिक वसूल पंजी और रोकड़पाल बही के नमूना जॉच में यह पाया गया कि रसीद संख्या 826 से 903 जिसका उपयोग 2008–09 की अवधि में किया गया था, में क्रमांक संख्या छपा हुआ नही था बल्कि हाथ द्वारा लिखी गई थी। बिना छपाईवाली क्रमांक संख्या वाली रसीद का उपयोग अनियमित था। इस मामले की जॉच कर उचित कार्यवाही करते हुए स्थानीय लेखा परीक्षक को सूचित किया जाए।

14 निरस्त

15 मास्टर रौल का संदिग्ध भुगतान

प्रमाणकों की नमूना जॉच से ज्ञात हुआ कि चेक संख्या 523549 दिनांक 08.12.2010 द्वारा ₹3468.00 का भुगतान श्री सीताराम पासवान अनुसेवक को उनके द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत कराये गये कार्य हेतु किया गया था। श्री पासवान द्वारा समर्पित मस्टर रॉल दिनांक 29.06.2006 से 03.07.2006 की अवधि में कुल 51 मजदूरों की मजदूरी भुगतान से संबंधित था।

लेखा परीक्षा अभ्युक्ति

1 प्रधान सहायक सह लेखापाल के द्वारा अंकित तिथि के अनुसार अभिश्रव दिनांक 01.04.2010 को समर्पित किया गया था जिसे पारित कर दिनांक 8.12.2010 को भुगतान किया गयां इस प्रकार 4 वर्ष पुराने मस्टर रॉल पर भुगतान किये जाने हेतु बिलंब के लिए वांछित कारण अंकित नहीं किया गया था।

2. मस्टर रॉल मे कार्यावधि एवं हाजिरी में कटिगं एवं ओभर राइटिगं की गयी थी।

3. मस्टर रॉल भुगतान हेतु आवश्यक निरीक्षण पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अंकित नहीं था।

लेखा परीक्षा के क्रम में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस प्रकार भुगतान संदिग्ध था एवं इस संबंध में समुचित स्पष्टीकरण दिये जाने तक भुगतान राशि ₹3468.00 को आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

16. असमायोजित अग्रिम ₹8.12 लाख

अंकेक्षण में उपलब्ध कराये गए रोकड़ बही, अग्रिम पंजी और विपत्रों से यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई अग्रिम में ₹812458.00 असमायोजित था। विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट –III पर दिया गया है।

बकाया अग्रिम की राशि ₹812458.00 संबंधित व्यक्तियों से सामंजित वसूल (यथाप्रसंग) नगर पंचायत निधि में जमा कराई जाए एवं इसे अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

81

17. कार्यपालक के साथ वार्त्तालाप

लेखा परीक्षा के दौरान पायी गयी त्रुटियॉ/अनियमितताओं पर कार्यपालक पदाधिकारी के साथ वार्त्तालाप किया गया।

18. लेखा परीक्षा के परिणाम

1 लेखा परीक्षा के दौरान जमा राशि – शून्य

2. वसूली के सुझाव के अन्तर्गत राशि– 645101.00

3. आपत्ति के अन्तर्गत रखी गई राशि –3468.00

(प्रतिवेदन के परिशिष्ट–IV पर)

19. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत के लेखाओं के संधारण में काफी सुधार की आवश्यकता है। अधिकांश पंजी जैसे अग्रिम पंजी, सामजन पंजी, अनुदान पंजी का संधारण नही किया जा रहा है या फिर अद्यतन स्थिति में नही है।

–हस्ता0–

राजीव कुमार

(सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार(एस0 एस0–I)

–सह–

स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

15

सं0 एल0 ए0/एस0 एस0–1/ श0 स्था0 नि0/ दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का जवाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महिनों के अंदर इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाय।

"यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।"

- ह0 -

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार ,पटना

सं0 एल0 ए0/एस0 एस0–1/ श0 स्था0 नि0/ 14300/824 दिनांकः– 21.09.12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

(i) प्रधान सचिव, नगर विकास एंव आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना

(ii) जिलाधिकारी, मधुबनी

24/9/12

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

परिशिष्ट — I

– लेखा परीक्षा में उपलब्ध की एवं नमूना जांच की गई अभिलेखों की सूची
(प्रतिवेदन की कंडिका सं. 3 के संदर्भ में)

1. रोकड़पाल रोकड़ बही
2. लेखापाल रोकड़ बही
3. बी. आर. जी. एफ रोकड़ बही
4. भंडार पंजी
5. चेक रजिस्टर
6. विविध रसीद
7. पास बुक
8. बैठक बही (Proceeding Register)
9. अग्रिम पंजी

राजीव कुमार
स.ले.प. अ.

परिशिष्ट – II

लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध/असंधारित अभिलेखों की सूची

(प्रतिवेदन की कंडिका सं. 3 के संदर्भ में)

1. योजना पंजी
2. जमा पंजी
3. लोन पंजी
4. बजट इस्टीमेट
5. पी. एफ. लेजर
6. सेवा पुस्त एवं व्यक्तिगत संचिका
7. भूमि एवं संपत्ति पंजी
8. कर माफी लेख
9. बिक्री आदेश पुपत्र लेखा
10. परिमाण विपत्र शुल्क (वसूली) पंजी
11. ऋण विनियोजन पंजी
12. कर निर्धारण पंजी

राजीव कुमार
स. ले. प. अ.

Oxford

IV III
16

अग्रिम धारक का नाम

1.

2.

3.

4.

5.

9.

11

राजीव कुमार
स.लं.प.अ.

परिशिष्ट–IV
(कंडिका 18 के संदर्भ में)
लेखा परीक्षा का परिणाम

क्र0सं0	कंडिका सं0	अंकेक्षण के दौरान वसूली की गई राशि (₹)	वसूली के लिए सुझाई गई राशि (₹)	आपत्ति के अधीन रखी गई राशि (₹)
1	10	–––	645101.00	–––
2	15	–––		3468.00
		कुल	**645101.00**	**3468.00**